<u>न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—राहुल कुमार मल्हौत्रा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 110/2020 **दायर दिनांकः 06/08/2020**

उनवान

1- दैवेन्द्र कुमार आयु 30 वर्ष पुत्र नन्दलाल जाति मीना।

2- हरिश कुमार आयु 27 वर्ष पुत्र नन्दलाल जाति मीना।

3- पिपला कुमारी आयु 26 वर्ष पुत्री रामचरण जाति मीना।

4- अविनाश कुमार आयु 24 वर्ष पुत्र रामचरण जाति मीना।

5. गणेश कुमार आयु 22 वर्ष पुत्र रामचरण जाति मीना निवासीगण बोकड़ा तह० अटरू जिला बारां (राज)

वादीगण

बनाम

1. नन्दलाल आयु 53 वर्ष पुत्र रामप्रताप जाति मीना।
2. रामचरण आयु 52 वर्ष पुत्र रामप्रताप जाति मीना निवासीगण बोकडा पो० जिरोद तह० अटरू जिला बारां (राज०)।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज०)।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0</u>
<u>बाबत् खातेदारी घोषणा</u>

उपस्थिति :—
वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान तिवारी।

आदेश दिनाकः 16/09/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्त गेत धारा 88, 89 आर.टी.एक्टर. का इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम एवं माल बोकड़ा पटवार हल्का जिरोद तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में खाता संख्या 123 के ख0न0 149 पश्चिम का रकबा 0.93 है०, ख०न० 203 का रकबा 0.16 है०, ख०न0 204 का रकबा 0.45 है0, ख0न0 208 का रकबा 0.88 है०, ख०न0 209 का रकबा 0.04 है0 गै०मु० चाह, ख0न0 210 का रकबा 0.37 है०, खoन0 211/737 का रकबा 0.50 है०, ख0न0 212 का रकबा 0.20 है०, ख०न0 219 का रकबा 0.17 है०,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.10.07 11:34:26 IST
Reason: SelfAttested

ख**0**न**0** 359 का रकबा 1.32 है**,** ख**0**न**0** 423 का रकबा 0.04 है०**,** ख**0**न**0** 463 का रकबा 0.16 है०**,** ख०न० 464/849 का रकबा 0.04 है०**,** ख0न0 517 का रकबा 0.94 है०**,** ख0न0 630 का रकबा 0.43 है०**,** ख0न0 631/826 का रकबा 0.06 है**,** ख0न0 652 का रकबा 1.13 है**o,** ख0न0 654 का रकबा 1.57 है०**,** ख0न0 660 का रकबा 0.88 है0 कुल किता 19 का रकबा 10.27 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के 1/2-1/2 दर्ज खाता हैं। नवीन नकल जमाबन्दी खाता संख्या 123 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं । में वर्णित आराजी प्रतिवादी क्रम । व **2** की पैतृक सम्पत्ति हैं जिसमें वादी क्रम । व 2 का हिस्सा नोशनल शेयर से 1/6-1/6 व वादी क्रम 3 ता 5 का हिस्सा 1/8-1/8-1/8 बनता हैं तथा प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/6 व प्रतिवादी क्रम 2 का हिस्सा 1/8 बनता हैं। उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का जन्म से ही हिस्सा एवं अधिकार हैं तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 आराजी को जबरन बैचान करने पर आमादा हैं। यदि आराजी का बैचान कर दिया तो वादी क्रम 1 व 2 को उनके हिस्से 1/6-1/6 व वादी क्रम 3 ता 5 को उनके हिस्से 1/8-1/8-1/8 की आराजी से वंचित होना पडेगा । जिससे वादीगण को अपरिमित क्षति होगी। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं हैं अगर प्रतिवादी क्रम 1 व **2** अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल रहे और वाद पत्र की मद नं 1 में वर्णित आराजी को रहन , बैचान एवं हस्तान्तरण कर दिया तो वादीगण को आराजी में चले आ रहे हक अधिकारों से वंधित होना पड़ेगा। जिससे वादीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी इस वजह से वादीगण वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते हैं कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 व 2 पारित की जावें कि वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी पर वादी क्रम 1 व 2 को हिस्सा 1/6-1/6 व वादी क्रम 3 ता 5 को हिस्सा 1/8-1/8-1/8 का खातेदार कृषक घोषित किया जावें जिसके वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.10.07 11:34:26 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी एवं नॉलिशी हैं। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालम में पेश किया गया हैं। राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बारा को घारा 80 सी०पी०सी० का विधिक नोटिस प्रेषित कर दिया हैं परन्तुक्प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के आराजी खाते दर्ज होने के कारण आराजी को बेचान करने पर आमादा हैं इसलिए मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण धारा 80 (2) सी०पीसी० के प्रार्थना पत्र के साथ यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। जिसे दर्ज कर नियमित सुनवाई की जावें। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 07/07/2020 को प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा आराजी बैचान करने की धमकी देने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 17/07/2020 को आराजी वादीगण के खाते दर्ज करवाने से मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ हैं।

विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल बोकड़ा पटवार मण्ड़ल जि रोद तह० अटरू में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिका र प्राप्तद है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा उक्त वाद खातेदारी की घोषणा का होने की वजह से उक्त वाद में तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम ३ आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अत: माननीय न्यायालय में वादीगण वाद प्रस्तुत कर निवेदन करते हैं कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी क्रम 1 व 2 पारित की जावें कि:-

(अ) यह कि वाद पत्र की मद नं 1 में वर्णित आराजी वाके ग्राम एवं माल बोकड़ा पटवार हल्का जिरोद तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में खाता संख्या 123 के कुल किता 19 का रकबा 10.27 है० आराजी पर वादी क्रम 1, 2 को हिस्सा 1/6 -

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.10.07 11:34:26 IST
Reason: SelfAttested

1/6 व वादी क्रम 3 ता 5 को हिस्सा 1/8-1/8-1/8 का खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टार किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्या राजीनामा हो गया है अब कोई विवाद शेष नही बचा है ग्राम व माल बोकडा की खाता संख्या 123 कुल किता 19 का रकबा 10.27 है0 आराजी में से वादी क्रम 1, 2 का हिस्सा 1/6, 1/6 रहेगा व वादी क्रम 3 ता 5 का हिस्साी1/8, 1/8, 1/8 रहेगा । इसी बात को लेकर इसी आधार पर राजीनामा पेश है खाता संख्या 123 का कुल किता 19 का रकबा 10.27 है0 आराजी पैतृक सम्पयत्ति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1, 2 ने यह राजीनामा स्वे च्छाइपूर्वक पेश किया है मुताबिक राजीनामा वाद स्वींकार किया जाकर डिक्री फरमाने में किसी को कोई आपत्ति नही है

अत: राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्या हुये राजीनामा को तस्दीाक फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रस्तुात राजीनामा पढकर सुनाया गया पक्ष्ा कारान द्वारा स्वीयकार किया गया वादीगण की पहचान श्री बद्रीलाल नागर एड. द्वारा तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की पहचान श्री भगवान तिवारी एड. द्वारा की गई राजीनामा बाद तस्दीाक शा0फा0 किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया विवादित आराजी ग्राम बोकडा की जमाबन्दी संवत 2073 - 2076 खाता संख्याा123 किता 19 रकबा 10.27 है0 प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का हिस्साय½ - ½ दर्ज है, शपथ पत्र व ग्राम पंचायत जीरोद के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.10.07 11:34:26 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार वादीगण 1 व 2 प्रतिवादी क्रम 1 के पुत्र है, तथा 3 ल 5 प्रतिवादी क्रम 2 के पुत्र पुत्री है उक्ता भूमि पैत्रिक सम्पकत्ति होने से वादीगण का जन्म से हिस्सास निहित है

अत: न्यायियहित मे आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वी कार योग्या है

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्तk विवेचन के आधार पर आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीवकार किया जाता है विवादित आराजी ग्राम बोकडा की खाता संख्याि123 किता 19 रकबा 10.27 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का हिस्सा ½, ½ खाता दर्ज है प्रतिवादी क्रम 1 नन्द0लाल का हिस्सा½ में से वादी क्रम 1 व 2 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/6- 1/6 हिस्सेत का तथा प्रतिवादी क्रम 2 का हिस्सा½ में से वादी क्रम 3 ल 5 व प्रतिवादी क्रम 2 को 1/8-1/8 हिस्सेस का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तहसीलदार अटरू उक्तावनुसार राजस्वा रिकार्ड में अमल दरामद करें । डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यारयालय में सुनाया गया ।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.10.07 11:34:26 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री राहुल कुमार मल्हौत्रा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 110/2020

उनवान

1– दैवेन्द्र कुमार आयु 30 वर्ष पुत्र नन्दमलाल जाति मीना ।
2– हरिश कुमार आयु 27 वर्ष पुत्र नन्दलाल जाति मीना ।
3– पिपला कुमारी आयु 26 वर्ष पुत्री रामचरण जाति मीना ।
4– अविनाश कुमार आयु 24 वर्ष पुत्र रामचरण जाति मीना ।
5– गणेश कुमार आयु 22 वर्ष पुत्र रामचरण जाति मीना निवासीगण बोकड़ा तह० अटरू जिला बारां (राज)

वादीगण

बनाम

1– नन्दलाल आयु 53 वर्ष पुत्र रामप्रताप जाति मीना।
2– रामचरण आयु 52 वर्ष पुत्र रामप्रताप जाति मीना निवासीगण बोकडा पो० जिरोद तह० अटरू जिला बारां (राज०) ।
3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज०)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0
बाबत् खातेदारी घोषणा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान तिवारी।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम बोकडा की खाता संख्या 123 किता 19 रकबा 10.27 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का हिस्सा खाता दर्ज है प्रतिवादी क्रम 1 नन्दलाल का हिस्सा में से वादी क्रम 1 व 2 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/6– 1/6 हिस्से का तथा प्रतिवादी क्रम 2 का हिस्सा में से वादी क्रम 3 ल 5 व प्रतिवादी क्रम 2 को 1/8–1/8 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें ।

(राहुल कुमार मल्हौत्रा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 16.09.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.10.07 11:34:26 IST
Reason: SelfAttested